ST-ESTB/UCOS/6/2022-XXXIV-2-Information Technology Department

/177558/2023

संख्या-177558/XXXIV-2/2023/04/38296/2021

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद(यू-कॉस्ट),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 02 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 2024

विषयः- **Funding For Faster Implementation of Important Projects Including Missing Link** कार्यक्रम के अतंर्गत उप आंचलिक विज्ञान केन्द्र अल्मोड़ा में राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति केसंबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 24789/वि0प्रौ0प0/उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, अल्मोड़ा/2023-24 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01 फरवरी, 2023 को जिला/राज्य सेक्टर में संचालित अवस्थापना परियोजनाओं हेतु "**Funding For Faster Implementation of Important Projects Including Missing Link** कार्यक्रम के अतंर्गत नए प्रस्ताव पर अनुमोदन के संबंध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचारोपरान्त उप आंचलिक विज्ञान केन्द्र, अल्मोड़ा की चाहरदीवारी को 2 फीट ऊचाई की **Toe Wall** पर **Square bar strong fencing** के अनुसार कराये जाने के निर्देशों के साथ परियोजना के निर्माण हेतु **Missing link fund** से धनराशि के आवंटन पर अनुमोदन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप आंचलिक विज्ञान केन्द्र, अल्मोड़ा की चाहरदीवारी, टिकट काउंटर, गुमटी एवं मेन गेट आदि के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल द्वारा प्रस्तुत किये गये डी0पी0आर0 की आगंणन का टी0ए0सी0 अल्मोड़ा द्वारा औचित्यपूर्ण पाये गये रू0 499.48 लाख की धनराशि अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक 4059(लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)-80(सामान्य)-800(अन्य भवन)-17(महत्वपूर्ण स्थापना कार्य)-00-53-वृहद निर्माण मद से रू0 499.48 **लाख(रू0 चार करोड़ निन्यानब्बे लाख अडतालीस हजार मात्र)** की धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी 40 प्रतिशत धनराशि रू0 199.79 लाख(रू0 एक करोड़ निन्यानवे लाख उन्नासी हजार मात्र) को समायोजित करते हुए द्वितीय किस्त के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू0 199.79 लाख की धनराशि नियमानुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु मा0 राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत परियोजना को इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की जा रही है कि परियोजना को उपरोक्तानुसार स्वीकृत लागत में ही समयबद्धता एवं गुणवत्ता पूरक पूर्ण किया जायेगा एवं आंगणन का किसी भी दशा में पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।

2. बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबंध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एंव दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय और मितव्ययता के संबंध में योजना बना ली जाय। तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित/आवंटित धनराशि के सापेक्ष बजट का लक्ष्य पूर्व से ही निर्धारित कर बजट सुनिश्चित किया जाय। मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उपरोक्त द्वितीय किस्त की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I–67149 दिनांक 29.09.2022 के कम में निर्गत की जा रही है, द्वितीय किस्त की धनराशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अद्यतन भौतिक/वित्तीय प्रगति के साथ तृतीय किस्त अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

6. धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7. प्रश्नगत् धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जाय अन्यथा धनराशि को तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–01 (लेखा नियम) आय–व्ययक से सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–007 के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3–यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या–170354 दिनांक 21 नवम्बर, 2023 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–ऑनलाईन बजट आई0डी0</u>

भवदीय,

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 26-12-2023 11:01:50

(शैलेश बगौली)
सचिव

<u>संख्या– /XXXIV-2/2022/04/38296/2021, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–1।
4. कोषाधिकारी, देहरादून ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. बजट अधिकारी, साईबर कोषागार, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Mohmad Oabaidullah Ansari
Date: 02-01-2024 13:07:16

(मो0 ओबैदुल्लाह अन्सारी)
अनु सचिव,

Scanned with OKEN Scanner